न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/92/2022	2022/119	11.04.2022	07.02.2023

1. असरू पुत्र रहमान जाति मेव निवासी ग्राम माटावास तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. रमजान पुत्र अमीखां जाति मेव
2. दीन मोहम्मद उर्फ दीनू पुत्र अमीखां जाति मेव
3. आसू खां पुत्र अमीखां जाति मेव
4. अलीम खां पुत्र अमीखां जाति मेव निवासीयान ग्राम डालावास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

—असल अप्रार्थीगण

5. करीम खां पुत्र मौज जाति मेव निवासी ग्राम डालावास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
6. इलियास पुत्र रहमान जाति मेव
7. नवाबदीन पुत्र रहमान जाति मेव
8. इदरीश पुत्र रहमान जाति मेव
9. श्रीमती जैतूनी स्त्री रहमान जाति मेव
10. असरूपी पुत्री रहमान जाति मेव
11. जसरीना पुत्री रहमान जाति मेव
12. सुलेमान पुत्र रहमान जाति मेव निवासीयान ग्राम माटावास तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
13. सुलेमान पुत्र उदेल जाति मेव
14. बसीरी स्त्री गुलशेर जाति मेव निवासीयान डालावास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
15. आसीनी पुत्री मल्हड़ जाति मेव निवासी माटावास तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
16. तौफीक पुत्र मोज खां जाति मेव
17. आमीन पुत्र मोज खां जाति मेव
18. अब्दुल सुभान पुत्र मोज खां जाति मेव
19. रहमत पुत्र मोज खां जाति मेव निवासीयान टेउवास तहसील कोटकामिस जिला अलवर राज0।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

20. उपपंजीयक तिजारा जिला अलवर राज0।
21. उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. श्री मनीष कुमावत —वकील प्रार्थी
02. श्री मौहम्मद इलियास —वकील अप्रार्थी सं0 1

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी रमजान बनाम करीम खां को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय—पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी तिजारा में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 17.03.2021 के बाद प्राप्त होकर दिनांक 04.12.2021 पेशी नियत की जाकर वादी की साक्ष्य हेतु दिनांक 09.02.2022 की पेशी नियत की गयी। दिनांक 09.02.2022 को वादी ने अपनी साक्ष्य समाप्त कर दी तथा प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु पेशी दिनांक 16.02.2022 नियत की गयी। प्रकरण में माननीय उच्च

जिला कलक्टर, अलवर

न्यायालय में रिट पीटिशन सं0 16255/2015 लंबित है। जिसकी प्रति पेश की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर स्टेटस को मेनटेन करने का आदेश पारित कर रखा है। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पत्रावली पर कोई कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है किन्तु पीठासीन अधिकारी ने प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर देकर दिनांक 14.03.2022 की पेशी नियत कर दी गयी। वादी रमजान मौजूदा सरपंच है। रमजान ने पीठासीन अधिकारी से अपने पक्ष में निर्णय कराने की बात कर ली है। रमजान ने मिन प्रार्थी से खुले तौर पर कह दिया है कि दिनांक 14.03.2022 को तुम्हारे बयानों के लिए अंतिम अवसर दिया है। उस दिन बयान लेकर अधिकारी उसके पक्ष में फैसला कर देगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायलय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 की ओर से जवाब/बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पेश मुंतकिल प्रा0पत्र स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन वाद को अन्य किसी भी न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। उक्तानुसार प्रथमदृष्ट्या प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी रमजान बनाम करीम खां न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी तिजारा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी तिजारा एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2023 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)